अध्याय 3: राज्य उत्पाद शुल्क

3.1.1 कर प्रबन्ध

उत्पाद शुल्क राजस्व मुख्यत: विभिन्न बिक्रियों के लाईसैंस की अनुमति हेतु नियत, निर्धारित एवं नीलामी फीस तथा डिस्टिलरियों एवं ब्रेवरिज से निकाली गई और एक राज्य से दूसरे राज्य को आयातित/निर्यातित स्पिरिट एवं बीयर पर उद्ग्रहीत उत्पाद शुल्कों से प्राप्त किया जाता है। सरकारी स्तर पर प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, आबकारी एवं कराधान विभाग प्रशासनिक मुखिया हैं तथा आबकारी एवं कराधान आयुक्त (ई.टी.सी.) विभागाध्यक्ष हैं। उनकी सहायता मुख्यालय पर कलक्टर (आबकारी) द्वारा तथा फील्ड में राज्य आबकारी अधिनियमों/नियमों के समुचित प्रबन्ध के लिए उप-आबकारी एवं कराधान आयुक्तों (आबकारी) {डी.ई.टी.सीज (आबकारी)}, आबकारी एवं कराधान अधिकारियों (ई.टी.ओज), सहायक आबकारी एवं कराधान अधिकारियों (ए.ई.टी.ओज), निरीक्षक एवं अन्य सहायक स्टॉफ द्वारा की जाती है।

3.1.2 लेखापरीक्षा के परिणाम

वर्ष 2012-13 में उप-आबकारी एवं कराधान आयुक्त (आबकारी) के कार्यालयों के अभिलेखों की नमूना-जांच ने 369 मामलों में ₹ 16.53 करोड़ की राशि के उत्पाद-शुल्क, लाईसैंस फीस तथा पेनल्टी इत्यादि की अवसूली/कम वसूली प्रकट की, जो **तालिका 3.1** की श्रेणियों में उल्लिखित हैं।

तालिका 3.1

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	श्रेणी	मामलों की संख्या	राशि
आबकारी एवं कराधान विभाग (राज्य उत्पाद शुल्क)			
1.	लाईसैंसधारकों से लाईसैंस फीस की अवसूली/कम वसूली	01	8.56
2.	लाईसैंस फीस जमा न करवाना/कम जमा करवाना तथा ब्याज की हानि	109	2.12
3.	अवैध शराब पर जुर्माने की अवसूली	53	0.50
4.	विविध अनियमितताएं	206	5.35
	कुल	**369**	**16.53**

वर्ष 2012-13 के दौरान विभाग ने 79 मामलों में आवेष्टित ₹ 47.11 लाख के अवनिर्धारण तथा अन्य कमियां स्वीकार की जिनमें से 71 मामलों में आवेष्टित ₹ 40.23 लाख वर्ष के दौरान तथा शेष पूर्ववर्ती वर्षों में इंगित किए गए थे। विभाग ने पूर्ववर्ती वर्षों में इंगित किए गए आठ मामलों में ₹ 6.88 लाख वसूल किए।

₹ 12.15 करोड़ से आवेष्टित कुछ व्याख्यात्मक मामले अनुवर्ती अनुच्छेदों में उल्लिखित हैं।

आडिट फाइंडिंग

3.2 लाईसैंसधारकों से लाईसैंस फीस की अवसूली/कम वसूली

3.2.1 लाईसैंस फीस की अवसूली/कम वसूली

वर्ष 2009-10 से 2012-13 के लिए राज्य आबकारी नीति के साथ पठित हरियाणा शराब लाईसैंस नियम (एच.एल.एल. नियम), लाईसैंसधारी/लाईसैंसधारक आबंटी द्वारा प्रत्येक माह की 15वीं/20वीं तारीख तक लाईसैंस फीस की मासिक किस्तों के भुगतान का प्रावधान करते हैं, ऐसा करने में विफल रहने पर वह, माह के प्रथम दिन से किस्त अथवा उसके किसी भाग के भुगतान की तारीख तक की अवधि हेतु प्रति माह डेढ़ प्रतिशत की दर पर ब्याज के भुगतान हेतु उत्तरदायी है। यदि लाईसैंसधारी माह के अंत तक ब्याज सहित सम्पूर्ण मासिक किस्त जमा करवाने में विफल रहता है तो लाईसैंसधारी दुकान का प्रचालन अनुवर्ती माह की पहली तारीख से बंद कर दिया जाएगा तथा संबंधित जिला के डी.ई.टी.सी. (आबकारी) द्वारा साधारणतया सील कर दिया जाएगा।

3.2.1.1 वर्ष 2009-10 से 2012-13 तक के लिए डी.ई.टी.सी. (आबकारी) के सात कार्यालयों में हमने देखा कि 119 लाईसैंसधारक अप्रैल 2009 तथा मार्च 2013 की मध्य अवधि हेतु निर्धारित तारीखों तक लाईसैंस फीस की पूर्ण मासिक किस्त का भुगतान करने में विफल रहे। लाईसैंसधारकों ने देय ₹ 82.94 करोड़ में से केवल ₹ 77.99 करोड़ का भुगतान किया। डी.ई.टी.सी. (आबकारी) ने तथापि, एक से तीन वर्षों की चूक के बाद भी दुकानों को सील करने के लिए कोई कार्रवाई प्रारंभ नहीं की, परिणामस्वरूप ₹ 4.95 करोड़ की लाईसैंस फीस की वसूली नहीं हुई।

3.2.1.2 डी.ई.टी.सी. (आबकारी), रोहतक तथा रेवाड़ी के कार्यालयों में हमने देखा कि 12 रिटेल आऊटलेट लाईसैंसधारकों ने वर्ष 2009-10 तथा 2010-11 के लिए निर्धारित तिथि तक ₹ 6.30 करोड़ की सम्पूर्ण लाईसैंस फीस जमा नहीं करवाई। उन्होंने ₹ 3.12 करोड़ की शेष राशि छोड़ते हुए केवल ₹ 3.33 करोड़ (₹ 15 लाख की अतिरिक्त सिक्युरिटी सहित) का भुगतान किया। विभाग ने उनके रिटेल लिकर आऊटलेट रद्द कर दिए तथा ₹ 15 लाख की अतिरिक्त सिक्युरिटी जब्त कर ली। ये रिटेल आऊटलेट पुनः आबंटित नहीं किए जा सके तथा विभाग ने बकाया लाईसैंस फीस वसूल करने के लिए कोई ठोस कार्रवाई आरंभ नहीं की, परिणामस्वरूप ₹ 3.12 करोड़ के सरकारी राजस्व की वसूली नहीं हुई।

सरकार ने लेखापरीक्षा अभ्युक्ति स्वीकार की (अक्तूबर 2013)। डी.ई.टी.सी. (आबकारी), पलवल ने बताया कि ₹ 1.62 लाख की लाईसैंस फीस की राशि वसूल की गई थी तथा ₹ 8.05 करोड़ की बकाया राशि वसूल करने के लिए भू-राजस्व अधिनियम के अंतर्गत वसूली कार्यवाहियां आरंभ की गई थी।

3.2.2 बिक्रियों के आबंटन से पहले श्योरिटी बांड एकत्र नहीं किए गए

वर्तमान राज्य आबकारी नीति के अनुसार प्रत्येक सफल आबंटी से व्यापार आरंभ करने से पहले संबंधित तहसीलदार द्वारा विधिवत् प्रमाणित संपन्नता प्रमाण-पत्र तथा बिक्री की लाइसैंस फीस के बराबर राशि की संपन्नता वाले दो संपन्न व्यक्तियों द्वारा विधिवत् हस्ताक्षरित

नान-ज्यूडीशियल स्टाम्प पेपर पर एम-75 (सियोरिटी बांड) के दो सैट प्रस्तुत करना अपेक्षित था। ऐसा करने में विफलता लाइसैंस के निरस्तीकरण के लिए पर्याप्त आधार होगी। लाइसैंस फीस के बकाये पंजाब भू-राजस्व अधिनियम, 1887 के अंतर्गत भी वसूल किए जा सकते हैं।

डी.ई.टी.सी. (आबकारी), गुड़गांव, रोहतक तथा रेवाड़ी के कार्यालय में हमने देखा कि 26 लाईसैंसधारकों ने एम-75 (सियोरिटी बांड) प्रस्तुत नहीं किए। हमने यह भी देखा कि डी.ई.टी.सी. (आबकारी), रेवाड़ी ने संबंधित चूककर्ता लाईसैंसधारको को केवल नोटिस जारी किए थे। डी.ई.टी.सी. (आबकारी), गुड़गांव तथा रोहतक ने चूककर्ता लाईसैंसधारकों से सियोरिटी बांडस (एम-75) नहीं लिए तथा वसूली प्रमाण-पत्र पी.एल.आर. एक्ट के अंतर्गत जारी नहीं किए गए थे। आबकारी नीति के अंतर्गत अपेक्षितानुसार एक से तीन वर्षो के बीत जाने के बाद भी डी.ई.टी.सी. (आबकारी), द्वारा कोई कार्रवाई आरंभ नहीं की गई थी।

एग्जिट कांफ्रैंस (अक्तूबर 2013) के दौरान सरकार ने लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को स्वीकार किया तथा बताया कि सभी सियोरिटी बांडों को पूरा करने के लिए निदेश जारी कर दिए गए थे।

3.2.3 सिक्युरिटी और अतिरिक्त सिक्युरिटी जमा न करना/कम जमा करना

वर्ष 2011-12 की राज्य आबकारी नीति के साथ पठित एच.एल.एल. नियमों के अंतर्गत, खुदरा लाईसैंसप्राप्त शराब की दुकान के प्रत्येक सफल आबंटी को लाईसैंसप्राप्त दुकान के वार्षिक लाईसैंस शुल्क का पांच प्रतिशत लॉटस के ड्रा के दिन, पांच प्रतिशत आबंटन/लॉट के ड्रा के सात दिनों के भीतर या संबंधित वर्ष की 31 मार्च या उससे पहले, जो भी पहले हो तथा 10 प्रतिशत संबंधित वर्ष की 7 अप्रैल तक जमा करवाना अपेक्षित है। शेष 80 प्रतिशत बिक्री के परिचालन के माह से आरंभ होने वाले माह तथा प्रत्येक अनुवर्ती माह की 20 तारीख तक नौ समान मासिक किस्तों में तब तक भुगतान योग्य होगा जब तक संपूर्ण लाईसैंस फीस वसूल नहीं कर ली जाती। यदि आबंटी/लाईसैंसधारी निर्धारित समय में सिक्युरिटी का पूर्ण भुगतान करने में विफल रहता है तो उसका लाईसैंस स्वत: निरस्त मान लिया जाएगा तथा जमा की गई सिक्युरिटी, यदि कोई हो, जब्त कर ली जाएगी। आगे, ₹ 75 लाख तक या ₹ 75 लाख से अधिक तक लाईसैंस शुल्क वाले खुदरा लाईसैंसप्राप्त शराब की दुकान द्वारा क्रमश: ₹ एक लाख और ₹ दो लाख की अतिरिक्त सिक्युरिटी का भुगतान किया जाना है। अतिरिक्त सिक्युरिटी की राशि वर्ष की समाप्ति पर वापस कर दी जाएगी जब लाईसैंधारी के विरूद्ध कुछ देय नहीं होगा। यदि आबंटी वार्षिक लाईसैंस फीस के 20 प्रतिशत के बराबर सिक्युरिटी जमा का भुगतान करने में विफल रहता है तथा ब्याज सहित लाईसैंस फीस की नौ समान किस्तों के भुगतान में दोषी है तो अनुवर्ती माह की पहली तारीख से लाईसैंसधारी दुकान में प्रचालन बंद कर दिया जाएगा तथा संबंधित जिला के डी.ई.टी.सी. (आबकारी) द्वारा साधारणतया सील कर दिया जाएगा। ऐसे मामलों में, डी.ई.टी.सी. (आबकारी) वित्तायुक्त की पूर्व अनुमति प्राप्त कर मूल आबंटी के जोखिम एवं लागत पर इसे पुन: आबंटित कर सकता है।

(क) डी.ई.टी.सी. (आबकारी), गुड़गांव के कार्यालय में वर्ष 2011-12 के लिए हमने देखा कि वर्ष 2011-12 के लिए ₹ 16.64 करोड़ के लिए 17 रिटेल आऊटलेट लाईसैंसधारकों ने निर्धारित तारीख (07 अप्रैल 2011) तक सिक्युरिटी की पूरी राशि जमा नहीं करवाई थी। चार आबंटियों ने ₹ 20 लाख की सिक्युरिटी राशि जमा नहीं करवाई। आगे, 17 लाईसैंसधारकों ने ₹ 29 लाख की अतिरिक्त सिक्युरिटी राशि का भुगतान नहीं किया। डी.ई.टी.सी. (आबकारी)

ने संबंधित चूककर्ता लाईसैंसधारकों को नोटिस जारी किए तथा आगे अधिनियम एवं नियमों के अंतर्गत अपेक्षित अनुसार कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। डी.ई.टी.सी. (आबकारी) ने तथापि, लाईसैंसधारकों से अतिरिक्त सिक्युरिटी वसूल करने के लिए कोई कार्रवाई आरंभ नहीं की। इसके परिणामस्वरूप ₹ 49 लाख (सिक्युरिटी ₹ 20 लाख तथा अतिरिक्त सिक्युरिटी ₹ 29 लाख) की सिक्युरिटी तथा अतिरिक्त सिक्युरिटी राशि जमा नहीं/कम जमा करवाई गई।

एग्जिट कांफ्रैंस (अक्तूबर 2013) के दौरान सरकार ने लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को स्वीकार किया तथा बताया कि ₹ 49 लाख की बकाया राशि वसूल करने के लिए भू-राजस्व अधिनियम के अंतर्गत वसूली कार्यवाहियां आरंभ की गई थी।

(ख) पुन:नीलामी पर अन्तरीय लाईसैंस फीस की अवसूली

डी.ई.टी.सी. (आबकारी) के पांच कार्यालयों[1] में हमने देखा कि 11 रिटेल आऊटलेट लाईसैंसधारकों ने ₹ 5.38 करोड़ में से ₹ 4.06 करोड़ की लाईसैंस फीस जमा नहीं करवाई। विभाग ने उनके रिटेल शराब आऊटलेट रद्द कर दिए तथा सम्पूर्ण सिक्युरिटी राशि जब्त कर ली। मूल लाईसैंसधारकों के जोखिम एवं लागत पर ₹ 2.61 करोड़ के लिए शेष अवधि हेतु सितंबर 2010 तथा जनवरी 2012 के मध्य ये खुदरा दुकानें पुन: नीलाम/आबंटित की गई थी। विभाग ने मूल आबंटियों से ₹ 1.45 करोड़ (₹ 4.06 करोड़-₹ 2.61 करोड़) की लाईसैंस फीस की अन्तरीय राशि वसूल करने के लिए कोई कार्रवाई आरंभ नहीं की, परिणामस्वरूप ₹ 1.45 करोड़ के सरकारी राजस्व की वसूली नहीं हुई।

(ग) ब्याज की अवसूली/कम वसूली

एच.एल.एल. नियम प्रत्येक माह की 20 तारीख तक लाईसैंस फीस की मासिक किस्तों के भुगतान का प्रावधान करते हैं, ऐसा करने में विफल रहने पर लाईसैंसधारी को माह के प्रथम दिन से किस्त अथवा उसके किसी भाग के भुगतान की तारीख तक की अवधि हेतु प्रति माह डेढ़ प्रतिशत की दर पर ब्याज के भुगतान हेतु उत्तरदायी बनाती है। यदि लाईसैंसधारी माह के अंत तक ब्याज सहित सम्पूर्ण मासिक किस्त जमा करवाने में विफल रहता है तो लाईसैंसप्राप्त दुकान का प्रचालन अनुवर्ती माह की पहली तारीख से बंद कर दिया जाएगा तथा संबंधित जिला के डी.ई.टी.सी. (आबकारी) द्वारा साधारणतया सील कर दिया जाएगा।

वर्ष 2010-11 तथा 2011-12 के लिए डी.ई.टी.सी. (आबकारी) के छ: कार्यालयों[2] में हमने देखा कि 130 लाईसैंसधारियों ने अप्रैल 2010 तथा मार्च 2012 की मध्य अवधि हेतु ₹ 55.04 लाख की राशि की लाईसैंस फीस की मासिक किस्तों का भुगतान निर्धारित देय तारीखों के पश्चात् किया। विलम्ब 20 दिनों से एक वर्ष के मध्य श्रृंखलित था। डी.ई.टी.सी. (आबकारी) ने तथापि, दुकानों को बंद/सील करने तथा लाईसैंस फीस के विलम्बित भुगतान हेतु ब्याज उद्ग्रहण के लिए कोई कार्रवाई प्रारंभ नहीं की। इसके परिणामस्वरूप ₹ 96.89 लाख के ब्याज का अनुद्ग्रहण हुआ।

---

1 फरीदाबाद, कुरूक्षेत्र, पलवल, पानीपत तथा सोनीपत।

2 फरीदाबाद, गुड़गांव, झज्जर, करनाल, कुरूक्षेत्र तथा पानीपत।

हमने मामला मार्च 2012 तथा मई 2013 के मध्य आबकारी एवं कराधान विभाग को इंगित किया तथा जुलाई 2013 में सरकार को प्रतिवेदित किया।

एग्जिट कांफ्रैंस (अक्तूबर 2013) के दौरान सरकार ने लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को स्वीकार किया। डी.ई.टी.सी. (आबकारी), झज्जर तथा कुरूक्षेत्र ने बताया कि 10 मामलों में ₹ 2.64 लाख की राशि वसूल कर ली गई थी। ₹ 2.39 करोड़ की बकाया राशि वसूल करने के लिए भू-राजस्व अधिनियम के अंतर्गत वसूली कार्यवाहियां आरंभ की गई थी।

3.3 शराब के तिमाही कोटे से कम कोटा उठाने के लिए जुर्माने का अनुद्ग्रहण/अवसूली

एच.एल.एल. नियमों में प्रावधान है कि लाईसैंसधारक निर्धारित तिमाही अनुसूची के अनुसार उसकी बिक्री के लिए आबंटित सी.एल. तथा आई.एम.एफ.एल. का सम्पूर्ण मूल कोटा उठाने के लिए उत्तरदायी है, जिसमें विफल रहने पर अपूर्ण प्रमात्रा के लिए सी.एल. तथा आई.एम.एफ.एल. के लिए क्रमश: प्रति प्रूफ लीटर (पी.एल.) ₹ 20 तथा ₹ 65 की दर पर शास्ति लगाई जाएगी।

वर्ष 2010-11 तथा 2011-12 के लिए डी.ई.टी.सी. (आबकारी) के भिवानी, गुड़गांव तथा पलवल कार्यालयों में हमने देखा कि सभी 31 लाईसैंसधारकों ने 11.98 लाख पी.एलज के निर्धारित सम्मिश्रित कोटे में से 1.81 लाख पी.एलज कम उठाते हुए 10.17 लाख पी.एलज (सी.एल.: 3.47 लाख पी.एलज तथा आई.एम.एफ.एल.: 6.70 लाख पी.एलज) उठाया। डी.ई.टी.सीज (आबकारी) ने ₹ 92.59 लाख की राशि की शास्ति का उद्ग्रहण करने के लिए कोई कार्रवाई प्रारंभ नहीं की थी।

हमने मामला सरकार को इंगित किया जिसने एग्जिट कांफ्रैंस (अक्तूबर 2013) के दौरान लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को स्वीकार किया तथा बताया कि ₹ 36.65 लाख की राशि वसूल कर ली गई थी तथा ₹ 55.94 लाख की बकाया राशि वसूल करने के लिए भू-राजस्व अधिनियम के अंतर्गत वसूली कार्यवाहियां आरंभ की गई थी।

3.4 अवैध शराब के स्वामित्व एवं व्यापार के लिए शास्ति का अनुद्ग्रहण/अवसूली

हरियाणा राज्य में यथा लागू पंजाब आबकारी अधिनियम, 1914 की धारा 61 के अंतर्गत 750 एम.एल. की प्रत्येक बोतल पर न्यूनतम ₹ 50 तथा अधिकतम ₹ 500 की शास्ति अवैध शराब[3] के स्वामित्व हेतु दोषी पर उद्ग्राह्य है। आगे, हरियाणा शास्ति आरोपण तथा वसूली नियम, 2003 प्रावधान करता है कि यदि जुर्माने का भुगतान निर्धारित अवधि के भीतर नहीं किया जाता है तो कलेक्टर अथवा डी.ई.टी.सी. (आबकारी) शराब के साथ परिवहन के साधन की जब्ती हेतु आदेश पारित करेगा और जब्ती के आदेश की तारीख से 30 दिनों के भीतर परिवहन के साधन की नीलामी की जाएगी। इस पर किए गए व्यय को काटने के पश्चात् नीलामी राशि को जुर्माने के भुगतान की ओर समायोजित किया जाएगा तथा अतिरिक्त राशि,

3 अवैध शराब का तात्पर्य किसी गुणवत्ता जांच के बिना गुप्त रूप से/अवैध रूप से तैयार की गई तथा स्वीकार्य से उच्चतर मादक केन्द्रीकरण के कारण मानव खपत हेतु अनुपयुक्त शराब से है।

यदि कोई हो, स्वामी को वापस की जाएगी। शास्ति की अवसूलित राशि, यदि कोई हो, भू-राजस्व के बकाया के रूप में वसूलनीय होगी।

डी.ई.टी.सी. (आबकारी), कैथल, कुरूक्षेत्र तथा जींद के कार्यालयों में हमने देखा कि विभाग ने जनवरी 2009 तथा सितंबर 2011 के मध्य 171 मामलों में अवैध देशी शराब की 29,402 बोतलें रोक ली थी तथा चार वाहन {डी.ई.टी.सी. (आबकारी), कुरूक्षेत्र} जब्त किए थे। विभाग ने उपयुक्त अवसर देने के पश्चात 163 मामलों का निर्णय किया तथा 2009-10 एवं 2011-12 के दौरान ₹ 14.69 लाख की शास्ति लगाई और आठ मामलों में ₹ 9.36 लाख की शास्ति नहीं लगाई जा सकी। न तो दोषियों ने शास्ति का भुगतान किया और न ही विभाग ने 12 से 24 माह[4] की समाप्ति के बाद भी जब्त किए गए वाहनों की नीलामी करके राशि वसूल करने के लिए कोई कार्रवाई आरंभ की। हरियाणा शास्ति आरोपण तथा वसूली नियमों के नियम 12 तथा 13 की अननुपालना के परिणामस्वरूप ₹ 24.06 लाख की शास्ति की वसूली नहीं हुई।

हमने जुलाई 2013 में मामला सरकार को इंगित किया जिसने एग्जिट कांफ्रैंस (अक्तूबर 2013) के दौरान लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को स्वीकार किया तथा बताया कि ₹ 3.22 लाख की राशि वसूल कर ली गई थी तथा ₹ 20.84 लाख की शेष राशि वसूल करने के लिए प्रयास किए जाएंगे।

4 विलम्ब, जुर्माना लगाने की तारीख से मार्च 2012 तक परिकलित किया गया।